न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 36/2020 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1. जगदीश पिता जगन्नाथ जाट उम्र–वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2. महिपाल पिता जगन्नाथ जाट उम्र–वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

.... **प्रार्थीगण**

बनाम

1. चान्द देवी पत्नि लादूराम छीपा उम्र–वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2. महावीर प्रसाद पिता लादूराम छीपा उम्र–वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
3. उर्मिला पुत्री लादूराम छीपा उम्र–वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
4. सोनिया पुत्री लादूराम छीपा उम्र–वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
5. सविता पुत्री लादूराम छीपा उम्र–वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
6. श्रीदेवी पत्नि स्व.धीरज छीपा उम्र–वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
7. शीतर पुत्री स्व.धीरज छीपा उम्र–वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
8. आलोक पुत्र धीरज छीपा उम्र–वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
9. बिरदीचन्द पिता बन्ना मीणा उम्र–वयस्क निवासी फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
10. तहसीलदार (भूमिधार) फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... **अप्रार्थीगण**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– श्रीमती मदीना बानू––––वकील प्रार्थी

अनुपस्थित– श्री राजेश वर्मा....................विपक्षी 01 से 03, 05 से 08

राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां उपस्थित

निर्णय

दिनांक 15.11.2021

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2024.02.12 10:14:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार [illegible] अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 13.06.20[illegible] को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा फुलियाकलां पटवार मण्डल फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलाँ, जिला–भीलवाड़ा

स्थित खतौनी संख्या 416 के आराजी संख्या 1455, 1456, 1472, 1473 किता 4 रकबा 2.24 हैक्ट. प्रार्थीगण के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, एवं प्रार्थीगण के स्वयं की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजीयात तक पहुंचना पडता है। प्रार्थीगण शुरूआत से अप्रार्थीगणों की खातेदारी भूमि में होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थीगणों द्वारा रूकावट उत्पन्न किये जाने से प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 01 से 08 की आराजी संख्या 1457 एवं विपक्षी संख्या 09 की आराजी संख्या 1458 की मेड के सहारे–सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात में पहुंच हेतु अप्रार्थीगण संख्या 01 से 09 के हक स्वामित्व की आराजी संख्या 1457, 1458 भूमि की मेड के सहारे–सहारे 20 फिट नवीन रास्ता कायम किया जावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 17.06.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, मामले में वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 व 05 से 08 की और से अधिवक्ता श्री राजेश वर्मा द्वारा अधिकार पत्र व जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जिसे रिकार्ड पर लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण 01 से 03 व 05 से 08 की ओर से खण्डन में प्रस्तुत किये गये जवाब में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के पास अपनी आराजीयात में पहुंच हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद होते हुए भी जवाबदाता की भूमि कब्जा करने की नियत से 20 फीट नवीन रास्ता कायमी का यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है, जो न्यायोचित नही है। यदि प्रार्थीगण को चाहे गये रास्ते अनुसार भूमि दे दी जाती है, तो अप्रार्थी संख्या 01 से 03 व 05 से 08 को इससे भारी क्षति होगी, साथ ही अप्रार्थीगणों का कृषि कार्य भी प्रभावित होगा। प्रार्थनापत्र के माध्यम में बताये गये रास्ते से प्रार्थीगण की कभी आवाजाही नही रही है, बल्की आराजी संख्या 1457, 1458 की सीमा की चारो ओर खम्बे व जाली लगी हुई है। प्रार्थीगण का शुरूवात के आवागमन का कथन असत्य है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी सव्यय खारीज फरमाया जावें। शेष विपक्षीगण के द्वारा विहित समायावधी में जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से विरूद्ध विपक्षी संख्या 04, 09, 10 एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी हेतु प्रस्ताव भिजवाया जावें। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार फुलियाकलां से पर्चा मौका, रिपोर्ट हल्का पटवारी प्राप्त होकर रिकार्ड पर लिया गया।

प्रकरण में तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा प्रस्तुत नवीन रास्ता कायमी बाबत रिपोर्ट का अध्ययन/अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 01 से 08

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2024.02.12 10:14:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलां, जिला–भीलवाड़ा

की मौजा फुलियाकलां स्थित आराजी संख्या 1457 रकबा 0.28 में से 0.0140 हैक्टे. (2 मीटर चौडाई), एवं विपक्षी संख्या 09 आराजी संख्या 1458 रकबा 0.65 में से 0.0140 हैक्टे. (2 मीटर चौडाई) भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। अतः अप्रार्थीगण को इससे कोई भारी क्षति होने का कथन मान्य नही है। राज्य सरकार द्वारा नवीन सन्दर्भ में जारी आदेश अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन सम्बन्धी नया कानून बनाने के पीछे स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें। यह रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। परन्तु तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रार्थीगण को केवल मात्र (रकबा 0.0280 हैक्ट) 4 मीटर चौडा ही रास्ता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पेश हुए है। इस प्रकार अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा का ध्यान रखते हुए रास्ता प्रस्तावित हुआ है। सुखाचार अधिनियम में भी स्पष्ट है कि यदि खातेदार को पडौसी खातेदारों की भूमि में से रास्ता नही उपलब्ध कराया गया तो प्रार्थी को खेती के कार्य से महरूम रहना पड सकता है। दूसरी ओर अप्रार्थीगण ने प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र में खण्डन स्वरूप ऐसा कोई तथ्य नही प्रस्तुत नही किया है, जिससे न्यायालय यह विचार करें कि नवीन रास्ता कायमी से अप्रार्थीगणों को कोई भारी क्षति होगी।

पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा 20 फिट का रास्ता चाहा गया था, एवं उसी क्रम में अप्रार्थीगण को न्यूनतम असुविधा हो तथा अप्रार्थी की कम से कम कृषि भूमि प्रभावित हो इस हेतु तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा मौजा फुलियाकलां स्थित अप्रार्थी संख्या 01 से 08 की मौजा फुलियाकलां स्थित आराजी संख्या 1457 रकबा 0.28 में से 0.0140 हैक्टे. (2 मीटर चौडाई), एवं विपक्षी संख्या 09 आराजी संख्या 1458 रकबा 0.65 में से 0.0140 हैक्टे. (2 मीटर चौडाई) नवीन रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र वहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम फुलियाकलां पटवार मण्डल फुलियाकलां तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा स्थित अप्रार्थी संख्या 01 से 08 की मौजा फुलियाकलां स्थित आराजी संख्या 1457 रकबा 0.28 में से 0.0140 हैक्टे. (2 मीटर चौडाई), एवं विपक्षी संख्या 09 आराजी संख्या 1458 रकबा 0.65 में से 0.0140 हैक्टे. (2 मीटर चौडाई) कुल रकबा 0.0280 हैक्ट (4 मीटर चौडा) भूमि मुताबिक प्रस्ताव ... रास्ता कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमल–दरामद तहसीलदार ... द्वारा किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Meena
Date: 2024.02.12 10:14:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां, जिला–भीलवाड़ा

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण (आराजी संख्या 1457, 1458 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसील फुलियाकलां में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार रकबा 0.0280 हैक्टेयर मालियत राशि की तीन गुना राशि कुल 14,618/- रूपये (0.0280 हैक्टयर की) राज्य कोष/अप्रार्थीगण को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 15.11.2021 को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम फुलियाकलां के खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
फुलियाकलां, जिला–भीलवाड़ा
जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि–

1– तहसीलदार फुलियाकलां को पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी फुलियाकला
फुलियाकलां, जिला–भीलवाड़ा
जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2024.02.12 10:14:08 IST
Reason: SelfAttested